राजस्थान सरकार

आगामी 60 दिवस में
विभागवार पूर्ण की जाने वाली
कार्ययोजना

मंत्रिमण्डल सचिवालय
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विभाग का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	1
2.	राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग	2
3.	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	3
4.	विधि विभाग	4
5.	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग	5
6.	श्रम एवं नियोजन विभाग	6–7
7.	परिवहन विभाग	8–10
8.	जल संसाधन विभाग	11
9.	शिक्षा विभाग	12
10.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	13
11.	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	14–15
12.	ऊर्जा विभाग	16–17
13.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	18
14.	लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	19
15.	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	20
16.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	21
17.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	22
18.	कृषि विभाग	23
19.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	24–25
20.	सहकारिता विभाग	26
21.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	27
22.	उद्यानिकी विभाग	28
23.	पशुपालन विभाग	29
24.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	30–33
25.	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	34
26.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	35
27.	गृह विभाग	36–37
28.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	38
29.	युवा मामले एवं खेल विभाग	39
30.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	40

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

- राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छ नगर अभियान प्रारंभ कर प्रभावी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में अवस्थित उद्यानों का रख–रखाव एवं नलकूप आदि का संधारण सुनिश्चित करना। इसके लिए संबंधित जिला कलक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जायेगी।

- राज्य के समस्त नगरीय निकायों में सडक मरम्मत, सडक सुरक्षा चिन्ह लगाना, रोड पेन्टिंग एंव मार्किंग की व्यवस्था विशेष अभियान चलाकर की जायेगी।

- राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर सुधार न्यास का गठन – वर्तमान में राज्य के 3 शहरों यथा जयपुर, जोधपुर व अजमेर (किशनगढ़ व पुष्कर सम्मिलित करते हुये) में विकास प्राधिकरण एवं 15 शहरों (कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ, भिवाड़ी, जैसलमेर, आबू एवं बाड़मेर) में नगर विकास न्यास कार्यरत है।

- राज्य के समस्त नगरीय निकायो के मास्टर प्लान तैयार करना।

- प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012 – राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों में 21 नवम्बर, 2012 प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था, जिसकी रियायतों की अवधि 31.12.2013 बढ़ायी गई थी। इस अभियान को आगे बढाते हुए दिनांक 31.01. 2014 तक प्राप्त आवेदनों का दिनांक 31.03.2014 तक या लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लगने तक जो भी पहले हो, निष्पादन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दी गयी शिथिलताऐं, छूट तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 31.03.2014 तक बढाना।

- समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में तुरन्त प्रभाव से रैन बसेरा चालू करना। इन रैन बसेरों में समस्त व्यवस्थाऐं यथा बिजली, पानी, रजाई, विस्तर इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।

- अमानीशाह नाले से विस्थापितों के पुनर्वास की कार्यवाही करना।

- समस्त प्राधिकरणों नगर विकास न्यासों एवं जिला मुख्यालय के स्थानीय निकायों पर प्रभावी ढंग से नागरिक सुविधा केन्द्र सीापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करना।

- जयपुर शहर में सीटी बसों हेतु बसों के स्ओपेज हेतु बस शेल्टर का निर्माण करना।

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस अवधि में 1500 नये आवास हेतु आवेदनों का रजिस्ट्रेशन करना, 4000 आवासों का निर्माण पूर्ण करना, 1500 नये आवासों का कार्य प्रारम्भ करना।

- भिवाडी–नीमराणा सम्पर्क सडक निर्माण हेतु रिडकोर के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करवाना।

राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग

- राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को भू आवंटन के 31 दिसम्बर 2013 तक लम्बित प्रकरणों का निपटारा।

- सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समस्त पूर्व सैनिकों का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करना।

- उपनिवेशन विभाग द्वारा 4000 हैक्टेयर भूमि का विशेष आवंटन/मोहरबन्द नीलामी के अन्तर्गत आवंटन।

- उपनिवेशन विभाग द्वारा कब्जा दिये जाने से वर्तमान में शेष सभी आवंटियों को कब्जा दिया जाना।

- उपनिवेशन विभाग द्वारा विकलांग सैनिक एवं युद्ध आश्रितों के बकाया समस्त प्रकरणों एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भूमि आवंटन किया जाना।

- नये जिले, उपखण्ड, तहसील हेतु आयोग का गठन।

- ग्रामीण क्षेत्र के न्यायालय परिसरों में वकीलों के बार–रूम एवं चैम्बर निर्माण हेतु भूमि का आवंटन।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिये भूमि आरक्षित करने हेतु निर्देश जारी करना।

- वीरांगनाओं को विशेष कार्ड जारी करना ताकि उन्हें कार्यालयों में उचित सम्मान प्रदत्त किया जा सके।

- दो सौ बत्तीस भू–अभिलेख निरीक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर पदस्थापन।

- दो हजार दो सौ इकहत्तर पटवारी के पदों पर नियुक्ति दी जाकर प्रशिक्षण आरम्भ करना।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग

- **राज्य के 4 स्मारकों में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य** – टाडगढ (अजमेर) एवं बान्दीकुई (दौसा) स्थित चर्च, नाहरगढ किला, चान्दपोल परकोटा, जयपुर

- **हाथी गॉव,** आमेर में **पथ मार्ग निर्माण**

- **आमेर तथा विधाघर बाग**, जयपुर का **विद्युतीकरण** (Illumination) **कार्य।**

- पुरास्थल **चन्द्रावती** (सिरोही) में **उत्खनन कार्य**

- झालावाड **चित्रांकन शैली के सर्वे एवं प्रलेखन** का **कार्य**

- संग्रहालय **भरतपुर में वास्तुखण्ड दीर्घा, कोटा संग्रहालय** में **मूर्ति दीर्घा** एवं **संग्रहालय सीकर में प्राचीन सिक्कों का प्रदर्शन** (पुरातत्व विभाग)।

- संग्रहालय, **आहाड** (उदयपुर) एवं **अलवर** में **लघुरंग चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी** (पुरातत्व विभाग)।

- **अकबर किला**, अजमेर में **अंग्रेजी भाषा में लाईट एवं साउण्ड शो प्रारम्भ** (पुरातत्व विभाग)।

- **सात दुर्लभ** पुस्तकों को Digitise **करना** :–
  (1) Ulwar And Its Art Treasure
  (2) Illustrations of the Textile Manufactures of India
  (3) Asian Carpets XVI and XVII Century Design From the Jaipur Palace (Rs. 50 lacs) (पुरातत्व विभाग)
  (4) Rajasthan Through the Ages-Part-1)
  (5) Rajasthan Through the Ages –Part-2
  (6) Bikaner Bahiyat
  (7) A List of the English Records of the Ajmer Commissioner (1818-1899)

- **राजस्थान के इतिहास से संबंधित 03 पुस्तकों का प्रकाशन :–**
  (1) फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल में मुगलकालीन भारत एवं राजपूत शासक, भाग–2 का लोकार्पण।
  (2) फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगलकालीन भारत एवं राजपूत शासन, भाग–3–मुद्रण।
  (3) 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजपूताना की भूमिका (सचित्र) (कतिपय अप्रकाशित मूल दस्तावेजों एवं आधारित) **(राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग)**

- Six Hill Forts of Rajasthan (Recently Declared NUESCO WORLD HERITAGE SITES) की Integrated Website का शुभारंभ।

विधि विभाग

- स्टेट लिटीगेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए एक्शन प्लान 2014 के जरिये अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का समयवद्ध निस्तारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- कनिष्ठ विधि अधिकारी के 150 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा शीघ्र आयोजित करने के लिए प्रयास।
- उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में निर्माणाधीन पार्किंग/अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास।
- जयपुर मेट्रोपॉलिटन न्यायालय भवन में बेसमेन्ट पार्किंग एवं मल्टीलेवल न्यायालय कक्षों के निर्माण की प्रगति।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

- राज्य में संचालित आयुष औषधालयों/चिकित्सालयों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने के साथ औषधियों की उपलब्धता, साफ सफाई व्यवस्था एवं सूचना पट्ट/निर्देशिका लगाया जाना सुनिश्चित किया जाना।
- 378 ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती।
- होम्योपैथिक एव यूनानी निदेशालय तथा जयपुर स्थित आयुष के अन्य कार्यालयों का नवनिर्मित आयुष भवन, जयपुर में स्थानान्तरण।
- आंचल प्रसूता केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाया जाना।
- आयुर्वेद चिकित्सालयों में संचालित पंचकर्म केन्द्रों पर पंचकर्म से सम्बन्धित कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा पद्वतियों के मोबाईल चिकित्सा शिविरों का आयोजन।
- आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में ई–परामर्श केन्द्र आरम्भ किया जाना।
- आमजन को आयुर्वेद से सम्बन्धित – विशेषकर घरेलू उपचार, जड़ी बूटियां और जीवन चर्या सम्बन्धी अधिकृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाना।
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु चिकित्सकों का प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन।
- आयुष चिकित्सा पद्धतियों से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं प्रसार हेतु जयपुर में आरोग्य मेले का आयोजन।

श्रम एवं नियोजन विभाग

- Launching of Aajeevika Skills Development Project (ASDP)

  MORD (GOI) sponsored Rs 400 Cr (state share approx Rs 100 Cr) ASDP to train 1 lakh rural poor to be launched.

- Skill Training will be provided to 30,000 youth by Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation

  RSLDC will carry out skill training programmes for 30,000 youth in various trades.

- Specialized Skill Projects

  (i) Establishment of Driver cum Mechanic training centers by **TATA Motors, Maruti Udyog and Honda Motors.**
  (ii) Establishment of skill training project for **Opticians and Spectacle** making.
  (iii) Amendment of rules under Private Security Agency Regulation Act 2005 for better employability scopes.

- Implementation of SDI Scheme of GOI

  Rajasthan Skill Development Initiative Society (RSDIS) will be made effective and efforts will be made to get GOI funding for Skill training programme under RSLDC. This will immensely improve skill certification process.

- Training of master trainers

  Effective use of 7 Construction Academies at Divisional Headquarters for training of master trainers in PPP mode.

- Rojgar Sahayata Shivir (Job Melas)

  (i) **43 job Melas** (30 big, 12+1 special camps for SCs and STs respectively) will be held in next 60 days. Special emphasis will be accorded to encourage women candidates to acquire livelihood skills.
  (ii) Current employment database will be upgraded to link up with skill mobilization.

- Removal of bottlenecks in State Service Delivery Gateway

  All employment offices to be effectively linked with State Service Delivery Gateway to provide two basic services-Registration and Renewal and all bottlenecks will be removed for smooth services.

- New Rozgar Sandesh & info-pack

  (i) **Rajasthan Rojgar Sandesh** will get a new format and wider coverage shall be ensured.
  (ii) District and trade specific info-packs relating to skills, schemes and scopes shall be prepared and distributed to targeted groups/institutions.

- Master Web portal for all information on employment

  Mandatory publication of recruitment related departmental notifications in the state master portal will be ensured. Close coordination with private sector for sharing of information will be attempted.

- Institutional Training-New Infrastructure

  Civil works of 10 new ITIs is will be initiated.

- Strengthening of training capabilities

  (i) Development of website at each institute level.
  (ii) Registration of 50 VTPs under SDIS Scheme and training of 2000 youths
  (iii) Initiation of recruitment process of instructors
  (iv) Coordination with industrial partners for all round development of institutes.
  (v) Better facilities for women, improvement of sanitation etc will be provided.

- Employment Week

  Special drive to hold campus interview at district hq level ITIs will be undertaken.

- Building and other construction worker welfare activities

  (i) Special efforts to register **50,000** more workers.
  (ii) Scheme benefits to be given to 10,000 eligible beneficiaries.

- Rastriya Swasthya Beema Yojana (RSBY)

  (i) Completion of Phase-II enrollment with 1 lakh new members.
  (ii) Strong IEC to generate awareness.

- National Pension Scheme-Swavalamban

  (i) Better publicity to encourage more participation. Efforts to cover more women in the scheme.
  (ii) 15000 new members to be included in the scheme.

- E-License for factories and boilers

  Initiation of e-Governance project to make the entire process of licensing and renewal online.

- Boiler Attendant Examination

  Examination will be held to certify boiler attendants.

- Larger coverage under ESI

  In collaboration and cooperation with ESIC and industries/employers; fresh survey will be conducted to identify clusters and to extend ESI schemes in the best interest of workers.

परिवहन विभाग

- **स्मार्ट कार्डः–** विभाग द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किये जाने की कार्यवाही की जानी है। आगामी 60 दिनों में विभाग द्वारा सभी 13 प्रादेशिक परिवहन मुख्यालयों पर एवं 12 अन्य प्रमुख जिला परिवहन कार्यालयों पर (कुल 25) ये योजना लागू कर दी जावेगी अर्थात उपरोक्त 25 परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होना प्रारम्भ हो जायेंगे।

- **नवीन जिला परिवहन कार्यालयों एवं उप परिवहन कार्यालयों को प्रारम्भ करनाः–** आगामी 60 दिनों में विभाग का प्रयास रहेगा कि शेष तीनों जिला परिवहन कार्यालय (शाहपुरा–भीलवाड़ा, दूदू एवं केकड़ी) को तथा शेष चारों उप परिवहन कार्यालयों (रेलमगरा, नावां, भवानीमण्ड़ी, देवली) को भी प्रारम्भ कर दिया जावे।

- **वाहन पंजीयन के लिए सभी वाहन विक्रेताओं/डीलर्स को अधिकृत किया जानाः–** आमजन की सुविधा के लिए राज्य में स्थित सभी वाहन डीलर्स को गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन के लिए आगामी 60 दिन में अधिकृत कर दिया जायेगा।

- **ग्रामीण परिवहन सेवा के नवीन मार्गों का खोला जानाः–** आगामी 60 दिनों में विभाग द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत कम से कम 50 रूट्स और खोले जाकर लगभग 500 ग्राम पंचायतों को पी0पी0पी0 मोड पर परिवहन सेवा से जोड़े जाने की योजना है।

- **वाहन एवं सारथी योजना को समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में लागू करनाः–** वाहनों एवं वाहन चालकों से सम्बन्धित नेशनल डेटाबेस तैयार करने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा वाहनों के पंजीयन लिए ''वाहन'' एवं ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने के लिए ''सारथी'' नामक सॉफ्टवेयर जारी किये गये थे। वर्तमान में राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों में ''वाहन'' सॉफ्टवेयर के तहत ही वाहनों का पंजीयन किया जा रहा है। जबकि ''सारथी'' सॉफ्टवेयर के तहत ड्राईविंग लाईसेंस केवल 38 कार्यालयों से ही जारी किये जा रहे हैं। आगामी 60 दिनों में विभाग की योजना है कि वर्तमान एवं नवीन स्थापित होने वाले सभी (कुल 54) प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में ''वाहन'' एवं ''सारथी'' सॉफ्टवेयर के तहत ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे।

- **100 नई बसों को निगम बेड़े में सम्मिलित करनाः–** राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन बेड़े में नकारा बसों के स्थान पर नई बसें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वर्ष 2012–13 के निगम के बजट में कुल 500 बसों का बजट प्रावधान निगम मण्डल के द्वारा अनुमोदित किया गया था। निर्धारित बजट की शेष 100 सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यूलाईन बसें और बनवाई जानी हैं, जिसके लिये चैसिस खरीदने, उन पर बस बॉडी बनवाने एवं सीटें क्रय करने का दिनांक 24.12.2013 को निर्णय लिया गया है। क्रय आदेश व ऐग्रीमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

- **राजस्थान पथ परिवहन निगम के सभी बस स्टेण्डों के परिसर एवं शौचालयों की रखरखाव, रंग–रोगन एवं प्रतिक्षालय के साथ साथ यात्री सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनाः–** आगामी 60 दिवस में राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा अपने सभी बस स्टेण्ड परिसर एवं शौचालयों की साफ–सफाई, रंग रोगन, टूट–फूट की मरम्मत , पेयजल सुविधा, प्रतिक्षालय कक्षों एवं अन्य यात्री सुविधाओं में सुधार लाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जायेगा।

- **JCTSL की बसों का प्रदूषण चैक करना एवं प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त करनाः–**
  - Pollution Check of 300 Buses
  - JCTSL is operating city buses since March, 2010.
  - Out of fleet of 408, 300 buses are more than 3 years old.
  - 280 buses are Rear Engine buses of Ashok Leyland and 20 Non AC Mini Buses are from Tata Motors.
  - As a drive to control emission JCTSL has undertaken the pollution check of these buses through RTO authorized agency and rectification will be done where necessary. This work will be completed within 60 days.

- **भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 1500 परिचालक की भर्ती एवं नियुक्ति**

निगम में चालक, परिचालक, आर्टिजन ग्रेड II एवं ग्रेड III के 3324 पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में संक्षिप्त रिपोर्ट–

निगम में चालक, परिचालक, आर्टिजन ग्रेड II एवं ग्रेड III के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1372 दिनांक 06.08.2013 जारी कर निम्नांकित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे :

चालक	1723
परिचालक	1517
आर्टिजन ग्रेड II	30
आर्टिजन ग्रेड III	54

कुल 3324 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 15.12.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है जिसमें 234 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 86106 परीक्षार्थी उपस्थित हुए।

उक्त में से परिचालक के पद पर 60 दिवस में चयन प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति देने की कार्यवाही कर दी जायेगी।

- **अजमेर में चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण करनाः–** राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सड़क दुर्घटनाएं, जो अधिकतर चालकों की गलती/लापरवाही के कारण होती हैं, में कमी लाने एवं वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण व तकनीकी परिवर्तनों के दृष्टिगत अपनी बस संचालन में सुधार लाकर जन सुविधायुक्त उच्च गुणवत्ता वाहनों में संचालित कर लाभप्रदता में वृद्धि लाने की दृष्टि से DBOOT मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वचालित चालक प्रशिक्षण एवं वाहन फिटनेस संस्थान की स्थापना करने का केन्द्रीय कार्यशाला, अजमेर में निगम ने निर्णय लिया। टेण्डर प्रक्रिया अपनाने के पश्चात M/s IL & FS Education & Technology Services Ltd., Delhi को उक्त संस्थान के निर्माण का उत्तरदायित्व 20 वर्ष की अनुबन्ध अवधि के लिये सौंपा गया है। चालक प्रशिक्षण संस्थान जिसमें सैद्वान्तिक एवं व्यावहारिक

वाहन संचालन कौशल का प्रशिक्षण चालकों को दिया जावेगा। यह संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित होगा। संस्थान का निर्माण 16.93 एकड़ (68506 वर्ग मीटर) में होगा और इस पर लगभग 10.00 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। संस्थान का निर्माण कार्य प्रारम्भ दिनांक 1.09.2012 को हुआ था एवं पूर्ण होने की Time bar जनवरी, 2014 की है।

- **मोबाईल के जरिये आरक्षण व्यवस्था प्रदान करनाः–** निगम वाहनों को Mobile Application के माध्यम से बुकिंग/निरस्तीकरण हेतु कार्यादेश मैसर्स डाटा इन्फोसिस को दिया गया है। प्रथम चरण में फर्म द्वारा Online आरक्षण प्रणाली से Integrate कर Android Operating System पर एक Mobile Application बनाई है, जिसकी Payment Gateway से Integrate कर यात्री को Online Payment की सुविधा प्रदान की गई है तथा इसके साथ ही फर्म द्वारा स्वयं के स्तर पर एक Prepaid Wallet की सुविधा भी यात्री को प्रदान की गई है जिसके माध्यम से यात्री द्वारा कर अपनी सीट की बुकिंग/निरस्तीकरण करवाई जा सकती है। इसके लिये फर्म द्वारा यात्री से किराये के अतिरिक्त 2.50 रूपये प्रति टिकट का अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जायेगा। द्वितीय चरण में फर्म द्वारा अलग–अलग Platform जैसे Apple, Black Berry, USSD (Unstructured Supplementary Service Data) पर भी बनवा कर इस परियोजना को परिष्कृत करने की योजना है।

जल संसाधन विभाग

- To promote sprinkler irrigation, 500 ha. area on Phalodi lift scheme of IGNP shall be opened.

- Detailed Action Plan for implementation of State Water Policy for WRD, SWRPD, CAD, Agriculture, Pollution Control Board and Industries Department etc. will be prepared.

- Concept paper on the Project for covering of canals with solar panels to control evaporation losses and generate solar power shall be prepared.

- Concept paper shall be prepared for transfer of water from proposed Brahmani Dam in Chambal Basin to Bisalpur Dam in Banas Basin.

- Inception report for Dewas III and IV for transfer of water from Sabarmati Basin to Banas Basin shall be prepared.

- Participatory Irrigation Management shall be promoted and 50 WUA's shall be formed.

- Irrigation Management Training Institute shall provide training to1000 farmers and NGO's.

- Draft Rules for Water Regulatory Authority shall be prepared.

- Construction of Padadara Anicut (Dungarpur) and Salawad Khurd Anicut (Kota) shall be completed.

- Approach road to Redia bund (Dausa) shall be restored.

- Restoration of Ghat pickup weir (Alwar), Gagrana Tank (Nagaur) and Pundloo Tank (Nagaur) shall be completed.

- Water shall be provided up to tail of canals of important dams viz. Mahi, Jakham, Bisalpur, Galwa and Som kamla Aamba.

शिक्षा विभाग

Academic (Teacher)

- Quality campaign school visit (5,400 in Jan. & 5,400 in April).
- Expediting teacher recruitment through TET. *****

Academic (Student)

- RTE Rules for adequate no. of admissions in class 1 in private schools.
- Reimbursement of fees of Rs. 80 Cr. to 2.5 Lakh students.
- Activating Fee Regulatory authority for private schools and monitoring of compliance. *****
- Cleanliness campaign in 11,781 Sec. / Sr. Sec. Schools (Rs. 5,000 / school)
- Distribution of scholarship. (For 2013 -14, to be disbursed)

Girls' Education

- 'Apki Beti Yojana'. 23,033 (Rs 1,100 (Ele.) Rs.1500 (Sec.) Amt. – Rs 2.57 Cr.
- Training for self defense to 20,000 girls at block level; Exp – Rs.37 Lakh.

Infrastructure

- Sanctioned 324 PS buildings and 1,208 additional class rooms (Amt. Rs. 72cr). Completion up to 28.2.2014, 100 buildings and 600 additional rooms.
- 4,500 Computer Labs in 5 yrs. and 2,000 new labs in Sec. / Sr. Sec. schools by Feb 2014.
- Motivation of donors for providing any equipments or items for use of schools.

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

- Opening of 1304 hectare culturable command area in Dhanori minor of Pokran lift scheme.

- Chak schemes in 323 chaks (1.25 lac hectare C.C.A.) will be approved for sprinkler works in lift schemes of IGNP Stage-II.

- Technical estimates of 50 chaks (0.20 lac hectare C.C.A.) will be sanctioned for sprinkler works in lift schemes of IGNP Stage-II.

- On Pannalal Barupal Lift and Kumbha Ram Arya lift schemes, work of replacement of 13 bowl assemblies of six pumping station will be completed.

- To enhance electric load capacity at Pannalal Barupal lift from 3.62 mv to 7.4 mv.

- To enhance electric load capacity at Kumbha Ram Arya Lift from 2 mv to 3 mv.

- Desilting work of 4500 cum between K.M. 11 to 31 in Ch. Kumbha Ram Arya lift canal, 9000 cum between K.M. 20 to 22 and 127 to 129 in Kanwar Sain Lift canal, 3000 cum between K.M. 27 to 32 in Karni Singh Lift canal and 3000 cum between K.M. 14 to 16 in Jai Narayan Vyas lift canal will be completed.

- Action for disposal of unserviceable articles scattered at I.G.N.P. Rest houses and along various systems shall be initiated.

- 3 works for repair of lining and dowels of various channels of Sahid Birbal Shakha will be completed.

- Construction of 2 ditch minors at R.D. 1276.100 (R) and 1325.700 (R) of Indira Gandhi Main Canal to provide irrigation facility to cultivators under regulation programme.

- Construction of retaining wall from R.D. 97.500 to 100.00 for protection of banks of Sagar Mal Gopa Shakha during rainy season.

- Replacement of old pipe line of 3 k.m. between Dabla and canal colony of IGNP staff Jaisalmer for providing drinking water facility.

अल्पसंख्यक मामलात विभाग

- (i) उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता योजना (पुरुष/ महिला विद्यार्थीयों हेतु) के तहत लम्बित सभी प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति जारी की जायेगी।

  (ii) अल्पसंख्यक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों (21) के स्थानों की पुर्नसमीक्षा कर जिलेवार स्थान तय किये जायेगें।

  (द्वारा निदेशालय)

- आर.एम.एफ.डी.सी. द्वारा 500 अल्पसंख्यक महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जायेगा ।

  (द्वारा आर.एम.एफ.डी.सी)

- समस्त जिला कलेक्टर्स के माध्यम से गजट में notified 141 वक्फ सम्पत्तियों को राजस्व रिकार्ड में वक्फ सम्पदा के रूप में इन्द्राज करने हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

  (द्वारा वक्फ बोर्ड)

- (i) वक्फ बोर्ड द्वारा एक करोड रुपये की राशि के कब्रिस्तानो की चारदीवारी के मरम्मत के कार्य प्रारम्भ कराये जाएगें ।

  (ii) कब्रिस्तान चारदीवारी निर्माण हेतु जन सहभागिता योजनान्तर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सम्बन्धित जिला परिषद से कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने हेतु स्वीकृति जारी करवा कर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जाएगी।

  (द्वारा वक्फ बोर्ड)

- योग्य एवं पात्र विद्यार्थियों के सभी लम्बित प्रार्थना पत्रो पर पोस्ट मैट्रिक (पी.एम.एस), मैरिट कम – मीन्स छात्रवृतियां (एम.सी.एम) वितरित की जाएगी तथा स्टेट मैरिट कम – मीन्स (एस.एम.सी.एम) छात्रवृतियों की स्वीकृतियां दी जावेगी तथा वितरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

  (अल्पसंख्यक निदेशालय)

- (i) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों से वक्फ सम्पत्तियों का बकाया किराया प्राप्त करने के लिये पृथक से अनुभाग गठित किया जायेगा जिसमें अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, लेखाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड सदस्य होंगे।

  (द्वारा संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात)

  (ii) 34 वक्फ सम्पत्तियों का बकाया किराया 3.31 करोड रुपये की विभिन्न विभागो /प्रतिष्ठानो से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

  (द्वारा राजस्थान वक्फ बोर्ड)

  (iii) राजकीय कार्यालयों/प्रतिष्ठानो के कब्जे में रही शेष 29 सम्पत्तियों का किराया निर्धारण करवाया जायेगा ।

  (द्वारा राजस्थान वक्फ बोर्ड)

- दस्तकारो के लम्बित सभी आवेदनों पर RMFDC द्वारा रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

(द्वारा आर.एम.एफ.डी.सी)

- मदरसो में यथासम्भव भर्ती प्रक्रिया चालू की जायेगी।

(द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड)

- अल्पसंख्यक छात्र– छात्राओं के लिये 40 स्थानों पर छात्रावास संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भ किया जायेगा। 73 छात्रावासों हेतु आवंटित स्थानो पर भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

(द्वारा निदेशालय)

- निर्माण उद्योग विकास निगम (CIDC) के माध्यम से 200 युवाओं को 13 विद्याओं में रोजगारपरक पशिक्षण तथा 1000 अल्पसंख्यक युवाओं को आर.के.सी.एल. के माध्यम से कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

(द्वारा निदेशालय)

ऊर्जा विभाग

- Measures for improvement in domestic rural power supply (upto 24 hrs):
  i. At present, an average of 16-22 hrs power supply is being provided to rural domestic consumers. As per Discoms records, about 23000-24000 villages are getting 20-22 hrs supply, 11000-13000 villages are getting 18-20 hrs supply and 1000-5000 villages are getting 16-18 hrs supply. To provide 24 hrs quality supply to the villages, monitoring on a daily basis will be conducted at discoms level so that the mismatch in the information gathered from public representatives and discoms is bridged and operational efficiency is improved to increase present level of supply of 12 to 20 hrs to at least 22 hrs.

  ii. Discoms will prepare an action plan in such a manner that the circuit breakers, roster switches, repairing of cable cuts etc works will be carried out on those feeders in which constraints exist for providing 24 hrs supply.

- **Construction of new 33 kV substation:**
  To strengthen the distribution network for providing 24 hrs supply, 60 new substations will be commissioned in 60 days.

- **Third Party Energy Audit in Distribution Companies**
  Work order for auditing & calculating authentic Technical & Commercial losses in Distribution Companies will be issued.

- **Supply to agriculture consumers:**
  i. Quality supply to agriculture consumers will be provided without tripping in two 6:30 hours block during day time and two 7 hours blocks during night hours.

  ii. 90 nos. of 33kV feeders out of total 1648 having constraint to provide 6:30 hrs supply in day blocks and are getting 6 hrs supply. These, will be taken on priority and network will be strengthened adequately for providing 6:30 hrs three phase supply in day blocks at par with others.

- **Refund of excess amount charged from agriculture consumers due to wrong VCR**
  All cases of wrong VCRs will be audited by internal audit wing of Discoms and letter of refund will be issued to the concerned agriculture consumers for adjustment in next 3 bills.

- **Electrification under RGGVY scheme**
  Out of 3 balance schemes, work of Dholpur and Udaipur will be completed

- **Mukhya Mantri Sabke Liye Vidyut Yojna (MMSLVY)**
  20000 connections to the applicants who have already deposited demand notice amounts will be released connections under MMSLVY.

- **Release of new agriculture connections**
  12000 agriculture connections will be released to the consumers who have deposited demand notice amounts.
  A proposal for releasing connections to the general & other category will be put up for further decision.

- **Release of regular domestic connections in rural/urban areas**
  Demand notice deposited 60000 domestic connections will be released.

- **Commissioning of new generation plants**
  Dedication of 160 MW Ramgarh Gas unit –III and Thermal Kawai unit I & II in private ownership.

- **Commissioning of solar plant in private ownership**
  100 MW solar thermal power plan by Reliance Group at Pokharan.

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

Activity to be completed	Nos
• Providing safe and potable drinking water to habitations through Major Projects	350
• Providing potable drinking water to habitations through Rural water supply schemes	750
• Construction and completion of RO plants to benefit quality effected habitations	300
• Completion and Installation of Hand Pumps	1500
• Completion and Commissioning of Single Phase bore wells	600
• Completion and Commissioning of Three phase tube wells	350
• Providing water supply to uncovered SC/ ST Basties in Urban towns	120
• Completion of ongoing works for strengthening water supply in urban sector	150
• Physical verification of PHED divisional stores	50
• Repair and replacement of Pumping Machinery	-
• Repair of Hand Pumps in Rural and Urban Sector including plate form	-
• Cleaning of reservoirs(CWR,SR,GLR)	-
• Commissioning of Unconnected GLRs, CWRs and SRs of PHED	-
• Replacement of old and defective pipe lines in Urban and Rural areas	-

लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग

- Under PMEGP, 2000 new projects will be sanctioned and financed through banks, giving employment to approx. 10,000 persons.
- Under various training and skill development programmes like EDP, HHI, etc. total 5,000 persons will be trained through reputed training institutions and NGO's.
- Implementation of 6 new clusters in the field of Kota Doria, Tie & Dye, Leather, Pokaran Pottery and Mustard Oil will be started in the next 2 months.
- 4,000 Identity Cards to artisans will be issued.
- Handloom cloths worth Rs. 500 lacs will be purchased and marketed by RHDC and Bunkar Sangh which will directly benefit the weavers and artisans. Apart from this 100 new designs will also be developed with the help of reputed professions.
- Khadi cloths worth Rs. 500 lacs will be purchased and marketed by Khadi Board which will directly benefit the katins and bunkars.
- 5 new khadi clusters at Bikaner, Barmer and Udaipur will start functioning in next 2 months. 1 new village industries cluster relating to mustard oil processing will be sanctioned in Bharatpur.
- Handicraft items worth Rs. 150 lacs will be purchased and marketed by RSIC which will directly benefit the artisans. Apart from this raw material worth Rs. 1,000 lacs will also be provided to SSI units at the concessional rates.

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

	Item	Date
•	Sanction of new Govt. colleges – 2 announced during Suraj Sankalp Yatra (Jhadol and Girl's College, Taranagar)	Jan. 15
•	Sending of requisition to RPSC for 1500 College / Polytechnic Lecturers for appointment	Jan. 15
•	Re-naming of new Brij, Matsya and Shekhawati Universities	Jan. 31
•	Finalization of Admission Policy for 2014-15 – to remove requirement of re-admission each year (about 2.25 lac students)	Jan. 31
•	Improvement of Govt. Colleges and Polytechnic Colleges - Whitewashing and basic repairs of all; Safai Abhiyan and improvement of gardens	Feb. 28
•	Digital Examination and Evaluation System in Rajasthan Technical University (about 2 lac students)	Feb. 28
•	Allotment of Land for New Colleges in phased manner, starting with 4 new colleges announced during Suraj Sankalp Yatra - Rajgarh, Deogarh, Jhadol and Taranagar Girl's	Feb. 28
•	Disbursement of Scholarship under CMHES up to Feb 2014 (127,970 students)	Feb. 28
•	Possession of building, staff deployment and making operational 13 new Polytechnic College.	Feb. 28
•	Completion of Construction and taking over possession of 15 hostels for women in polytechnic collages.	Feb. 28

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- राज्य की समस्त डामर सड़कों पर (नॉन पैचेवल सडकों के अतिरिक्त) राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सडकों, अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों की 56650 किमी. पैचेवल लम्बाई में किये गये पैच मरम्मत कार्य का सत्यापन किया जावेगा तथा शेष रहे 6000 किमी लम्बाई में पैच मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/बी.आर.ओं. को भी उनके क्षेत्राधिकार में कार्य सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया जायेगा।
- 180 करोड रूपये व्यय कर 400 किमी. लम्बाई में सडकों पर सुदृढीकरण/ नवीनीकरण का कार्य कराया जावेगा।
- 250 नये गांव/ढाणी/मंजरो को डामर सड़क से जोडा जायेगा। 868 नये गांवों को सड़कों से जोडने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रू. 832 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं आर.आर.एस.एम.पी. योजना में ढ़ाणी/मजरों को सडकों से जोडने हेतु रू. 700 करोड़ के कार्यादेश जारी किये जायेगें।
- (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं चार लेन को जोडने वाली सडको पर स्प्रीड ब्रेकर बनाये जावेंगे।
- (ब) सड़क सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य–मुख्य जंक्शन एवं घुमाओं पर रोड मार्किग का कार्य किया जायेगा।
- आर.एस.आर.डी.सी.सी., रिडकोर, आई.एल.एण्ड एफ.एस., सी.आर.आर.आई. एवं प्रतिष्ठित कंसलटेन्ट की सलाह पर पूर्व–पश्चिम कोरीडोर परियोजना तैयार की जायेगी तथा संसाधनों की संभावनाये तलाशी जावेंगी।
- पंचायत समिति मुख्यालयों को सबसे बडी ग्राम पंचायत से जोडने हेतु **"ग्रामीण गौरव पथ योजना"** प्रारम्भ की जायेगी। प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को जोडने की डी.पी.आर. तैयार की जावेंगी।
- सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विश्व बैंक एवं अन्य प्रतिष्ठित कंसलटेन्टों की सहायता से राजस्थान सडक सुरक्षा प्राधिकरण एक्ट का प्रारूप तैयार किया जायेगा।
- विभिन्न विभागों के 275 भवन कार्य पूर्ण है, उन्हें सा.नि.वि./आर.एस.आर.डी.सी.सी. द्वारा सम्बधित विभागों को सौंपे जाने का विशेष अभियान चलाया जायेगा।
- गुण नियंत्रण परिणामों के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण किये जावेंगे।
- 43 नॉन पेचेवल स्टेट–हाईवे एवं मुख्य जिला सड़कों पर सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण करवाकर रू. 183 करोड की लागत से 527 किमी. लम्बाई में प्रारम्भ करवाया जायेगा।
- कुल 9176 किमी. लम्बाई की मुख्य जिला सडकों में से लगभग 500 किमी. लम्बाई को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत किया जायेगा, जिसमें पूर्वी–पश्चिमी गलियारे (East-West Corridor) में आने वाली शर्तें भी शामिल होंगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

- भू–उपग्रह छाया चित्रों (Satellite data) पर अधारित भूमि उपयोग/भूमि वर्गीकरण का मानचित्रीकरण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 110 लाख)

- भू–उपग्रह छाया चित्रों (Satellite data) के माध्यम से पूर्वी राजस्थान एवं अरावली क्षेत्रों के भू आकृति एवं लीनियामेन्ट (Lineament) का मानचित्रीकरण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 42.36 लाख)

- 28 फरवरी – विज्ञान दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 21.00 लाख)

- 11 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 22.00 लाख)

- समुदाय द्वारा प्रबंधित 20 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रो की स्थापना

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 40.00 लाख)

- विज्ञान उद्यान, नवलगढ़ का लोकार्पण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 5.00 लाख)

- जैव–प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव–प्रौद्योगिकी के अग्रणी अनुसंधान केन्द्र के प्रथम चरण की ''विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन'' का निर्माण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 25.00 लाख)

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्रकोष्ठो का सुदृढीकरण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 5.00 लाख)

- विज्ञान क्लबो का सुदृढीकरण

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 55.00 लाख)

- 200 विद्यार्थी परियोजना हेतु वित्तीय सहायता

  (प्रस्तावित व्यय राशि रू. 30.00 लाख)

कृषि विभाग

- राज्य की प्रमुख 10 मंडीयों जहॉ सरसों बहुतायत में आती है, में आधुनिक ऑयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जायेगी।

- आपणी रसोई योजना जो वर्तमान में विशिष्ठ एवं 'अ' श्रेणी की 43 मण्डीयों में संचालित है, का विस्तार किया जाकर **किसान कलेवा योजना** के रूप में विशिष्ठ एवं 'अ' श्रेणी की मण्डीयों के साथ–साथ 'बी' श्रेणी की 17 मण्डीयों में भी संचालित की जायेगी।

- ज्योतिबा फुले फल एवं सब्जी मण्डी, मुहाना, जयपुर परिसर में पृथक से पुष्प मण्डी प्रांगण की स्थापना की जायेगी।

- राज्य में पशुधन के लिये निरन्तर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को 4 लाख चारा मिनिकिट का वितरण किया जायेगा।

- कृषि कार्यो में सुगमता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए कृषकों को 10000 कृषि यन्त्रों तथा पौध संरक्षण उपकरणों का अनुदान पर वितरण किया जायेगा।

- प्याज उत्पादक कृषकों को 700 वैज्ञानिक प्याज भण्डार गृह निर्माण हेतु 20000 रु. प्रति भण्डार गृह की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि के रुप में 1.40 करोड की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

- कृषकों को कृषि संबंधी परामर्श एवं मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने की कडी में 30000 नये कृषकों को कृषक पोर्टल के माध्यम से मोबाइल एस.एम.एस. सेवा से जोडा जायेगा।

- कृषि में विभिन्न नवाचारों से रुबरु कराने के लिये 1000 प्रगतिशील कृषकों को विभिन्न राज्यों/संस्थाओं का भ्रमण कराया जायेगा।

- फसलोत्तर प्रबन्धन एवं उत्पादन से विपणन तक के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने हेतु राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणों में 1000 कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

- रबी फसलों के लिए आगामी दो माह में चार लाख मै. टन यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

- मृदा सुधार एवं पोषक तत्व के रुप में जिप्सम के उपयोग को बढावा देने की दृष्टि से 25000 मै. टन जिप्सम का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा।

- राज्य में 800 डिग्गियों, 1700 फार्म पोण्ड तथा 150 जलहौज का निर्माण कराया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

- **सूचना प्रौद्योगिकी नीति**

राज्य की वर्तमान ''सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति–2007'' दिनांक 1.12.2007 को जारी की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी नीति में निरंतर हो रहे बदलाव एवं विश्व स्तरीय वृहत् विकास के चलते इस नीति में आमाचूल परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित तकनीक से जनता को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कटिबद्धता को पूर्ण करने के लिये राज्य की नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति पर कार्य आरंभ किया जायेगा।

- **सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति**

वर्तमान में सरकारी सेवाओं एवं सूचनाओं के साथ–साथ निजी क्षेत्र की सेवायें भी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता को उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे आदान प्रदान के लिये विशिष्ट सूचना का उपयोग किया जाता है जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित् करना सेवा उपयोगकर्ता के लिये आवश्यक होने के साथ–साथ सेवा प्रदाता की ज़िम्मेदारी भी है। अतः, संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिये राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति पर कार्य आरंभ किया जायेगा।

- **इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाओं में बढ़ोतरी**

वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों एवं निजी क्षेत्र की 40 सेवायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इन सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी करते हुये विभिन्न विभागों की 50 सेवायें नागरिकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेंगी।

- **सीएससी/ई–मित्र कियोस्क की संख्या में बढ़ोतरी**

राज्य में लगभग 5000 कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एवं निजी सेवायें तथा सूचनायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इन कियोस्कों की संख्या में बढ़ोतरी करते हुये 300 और कियोस्क खोले जायेंगे।

- **सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र**

राज्य के लगभग 1100 कार्यालय वर्तमान में आपस में एक दूसरे से सूचना तंत्र के माध्यम से, इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये, जुड़े हुये हैं। शीघ्र ही इस तंत्र के माध्यम से 250 और सरकारी कार्यालयों को जोड़ दिया जायेगा।

- **सचिवालय में वाई–फाई हॉट स्पॉट की स्थापना**

उच्च तकनीक के वर्तमान युग में स्मार्ट फोन, आई पैड, टैबलेट पी.सी इत्यादि के माध्यम से ईटरनेट, ई–मेल इत्यादि का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस परीपेक्ष्य में सचिवालय स्थित उच्च अधिकारियों तथा सचिवालय में दिन प्रतिदिन

सरकारी कार्य हेतु आने वाले आगंतुकों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये वाई–फाई हॉट स्पॉट की स्थापना की जायेगी।

- **''आधार'' पंजीकरण संख्या में बढ़ोतरी**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राज्य में ''आधार'' पंजीयन के लिये पंजीयक का कार्य निष्पादित कर रहा है जिसके अन्तर्गत आदिनांक तक 42035000 नामांकन कर लिये गये हैं। आगामी 60 दिवस में 5 लाख नामांकन और किये जायेंगे।

- **ई–ऑफिस परियोजना**

सरकारी विभागों में डाक तथा पत्रावलियों के सुचारू निष्पादन तथा प्रबोधन हेतु 2 विभागों में ई–ऑफिस तंत्र की स्थापना की जायेगी।

- **मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाईट का नवीनीकरण**

वर्तमान सरकार की घोषणाओं, उद्देश्यों, जन–कल्याण कार्यक्रमों तथा सरकारी विभागों हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री कार्यालय की वेब साईट का नवीनीकरण किया जायेगा।

- **मानव संसाधन विकास**

विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित् करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अति आवश्यक है। विभाग द्वारा इस हेतु निरंतर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश भर में 27000 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है एवं 3000 और कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है।

- **ई–भुगतान**

सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से क्रियाशील ई–प्रोक्योरमैन्ट तंत्र का विकास करते हुये इसके माध्यम से सरकारी भुगतान प्रक्रिया को भी कम्प्यूटरीकृत कर ई–भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

सहकारिता विभाग

- रबी के लिए काश्तकारों को 1000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली सहकारी ऋणों का वितरण।
- राज्य में 250 नए मिनी बैंक शुरु किये जाएंगे।
- केन्द्रीय सहकारी बैंकों (CCB's) द्वारा 2500 महिला स्वयं सहायता समूहों को कड़ी बन्धित करते हुए 15 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाएंगे।
- केन्द्रीय सहकारी बैंकों (CCB's) की 36 शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत कर ऑनलाईन किया जायेगा।
- भूमि विकास बैंकों (PLDB's) के माध्यम से 2 हजार काश्तकारों को 40 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे।
- भूमि विकास बैंकों (PLDB's) के 31.12.2013 तक संपूर्ण ऋण का भुगतान कर चुके ऋणी सदस्यों को भूमि रहन मुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
- उपभोक्ता संघ (Confed) व जिला उपभोक्ता भण्डारों द्वारा प्रदेश में 7 महिला उपहार सुपर स्टोर शुरु किए जाएंगे।
- सहकारी समितियों के माध्यम से 1.00 लाख मै.टन यूरिया व 10 हजार मै.टन डीएपी की आपूर्ति की जाएगी।
- सहकारिता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के 235 पदों की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति की जाएगी।

- 5,000 new SHGs will be formed/co-opted under livelihood programme. Subsequent activities such as Micro Credit Livelihood plan and release of Installments of loans will be undertaken for already existing groups.
- Skill training to 10,000 BPL rural youths with support of RSLDC (RMOL) under Livelihood programmes
- Inspection in campaign mode of 6.74 Lacs houses sanctioned for BPL families during the year 2011-12 and 2012-13. IInd & IIIrd installment will be released to the eligible beneficiaries.
- Works for the construction of boundary wall of cremation / burial grounds worth Rs. 20 Cr. will be sanctioned under Gramin Janbhagdhari Vikas Yojana.
- Implementation of IT enabled Integrated Works Monitoring System in all districts. This software got the National Award "SKOCH Award 2013 Gold Category".
- Nirmal Bharat Abhiyan
  - Individual (APL & BPL) House hold latrine (IHHL) - 50,000
  - Construction of Toilets in Aangan Wari Centres - 1000
  - 250 villages to be made Open Defecation Free for 2013-14 under NBA.
  - Running water facility (provision of fund under NRDWP by PHED) in 1000 schools to ensure cleanliness of school toilets.
  - Guidelines for regular maintenance of school toilets with Rs. 5000 per school per annum to be issued.
- Training of PRIs
  - Training Campaign to be organized in January 2014 for All 9177 Sarpanchs.
  - Training Campaign to be organized in February 2014 for All 105257 Ward Members.
- Construction of New Panchayat Bhawans - 283
- Effective implementation of Mid Day Meal Programme
  - Construction of kitchen shed in schools - 200
  - Utensils to be provided -1000 schools.
  - Quality testing of food being prepared at central Kitchen would be ensured.
- Integrated Watershed Management Programme
  - Constitution of Watershed committees - 200
  - Construction of water harvesting structures - 3000

उद्यानिकी विभाग

- 1.00 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस (25 हजार वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस एवं 75 हजार वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस) के साथ होगी सब्जियों एवं फूलों की खेती।

- प्लास्टिक टनल्स के द्वारा 15 लाख वर्ग मीटर भूमि पर होगी संरक्षित नई तकनीकी की व्यवस्था एवं खुले क्षेत्र में सब्जियों के उच्च तकनीक वाणिज्य उत्पादन को बढावा देने हेतु 1000 हैक्टर क्षेत्र में ''प्लास्टिक मल्च'' आधारित सब्जियों की खेती को बढावा दिया जावेगा।

- पश्चिमी जिलों में 50 हैक्टयर क्षेत्र में लगेगें खजूर के टिश्यू कल्चर उत्पादित पौधों के बगीचें।

- बागवानी में सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग को बढावा देने हेतु 7500 हैक्टर क्षेत्र में बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्र की स्थापना करवायी जावेगी।

- 10000 हैक्टर क्षेत्र में फव्वारां सिंचाई संयंत्र की स्थापना करवायी जावेगी।

- सब्जियों की उच्च तकनीक वाणिज्य कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु 2000 हैक्टर क्षेत्र में सब्जियों की संकर किस्मों की खेती को बढावा दिया जावेगा।

- राज्य में पानी की कमी के दृष्टिगत वर्षा जल संग्रहण आधार पर बागवानी को बढावा देने हेतु कृषक समूह के यहां 100 सामुदायिक जल स्त्रोत निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जावेगी।

- बागवानी में बूंद–बूंद सिंचाई पद्धति के साथ जल विलयक उर्वरकों के प्रयोग को बढावा देने हेतु 1000 हैक्टर क्षेत्र में अनुदानित दर पर फर्टिगेशन कार्य करवाया जावेगा।

- राजहंस नर्सरी देवडावास, टोंक में 2 हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून का पौध रोपण किया जावेगा।

- मधुमक्खी पालन के तहत 2500 बी–कॉलोनी एवं 2500 मधु बॉक्स कृषकों/मधुमक्खी पालकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

पशुपालन विभाग

- पशुधन आरोग्य महाअभियान – आगामी 60 दिवस में महा अभियान चलाकर लगभग 25 से 30 लाख पशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु शिविरों का आयोजन किया जावेगा ।

  1.1 गोवंशीय पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन के लिए गौशालाओं में संधारित पशुओं को पाक्षिक शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा एवं पाईका रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जावेगा ।

  1.2 पशुधन आरोग्य चल चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से 10000 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जावेगा ।

  1.3 25 जनवरी 2014 को एक ही दिवस में 5000 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 10 लाख से अधिक पशुओं की चिकित्सा की जावेगी।

- कालाडेरा (जयपुर) में 150 मैट्रिक टन क्षमता के कैटल फीड प्लांट (पशु आहार संयंत्र) का शिलान्यास किया जायेगा। कैटल फीड की वर्तमान उत्पादन की प्रतिदिन क्षमता को 600 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन किया जावेगा।

- पशुधन अनुसंधान केंद्र, कोडमदेसर (बीकानेर) में साहीवाल केटल ब्रीडिंग फार्म तथा चारागाह विकास एवं हरा चारा उत्पादन परियोजना का शिलान्यास किया जावेगा ।

- प्रदेश के 1000 अक्रियाशील कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को क्रियाशील कर, नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा, साथ ही इस अवधि में 1000 पशु चिकित्सा संस्थाओं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर ट्रेविस (अरगडा) स्थापित किया जावेगा।

- आगामी 60 दिवस में 100 नवीन बल्क मिल्क चिलर्स (milk chillers) की स्थापना कर 2 लाख लीटर दुग्ध अवशीतन क्षमता की वृद्धि की जावेगी।

- बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 9.5 लाख लीटर क्षमता के वर्षा जल संग्रहण तंत्र, टेक्नोलोजी म्यूजियम, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हराचारा उत्पादन मशीन एवं एडवांस्ड फीड–फोडर टेस्टिंग लेब का लोकार्पण किया जावेगा।

- हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा उत्पादन मशीन का नवानियां–वल्लभनगर, उदयपुर में लोकार्पण किया जावेगा।

- जामडोली (जयपुर) में वेटरनरी क्लिनीकल कॉम्पलेक्स का शिलान्यास किया जावेगा ।

- मानसरोवर (जयपुर) में राज्य में प्रथम बार एडवांस्ड मिल्क टेस्टिंग लैब का लोकार्पण किया जायेगा ताकि दूध में रोगकारी कीटाणु, सिंथैटिक अवयवों, पेस्टिसाईड एवं ड्रग रेजिड्यू की मिलावट की जांच की जा सकेगी ।

- गोपालन मंत्रालय की स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर ली जावेगी तथा पंचगव्य अनुसंधान हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एम.ओ.यू. संपादित किया जावेगा ।

- प्रदेश के जन जाति क्षेत्र के 1244 मछुआरों को 14.92 लाख रूपये का अनुदान वितरित किया जावेगा ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

कार्य योजना का विवरण	संक्षिप्त विवरण
• वित्तीय वर्ष 2012–13 के सम्बल ग्राम विकास योजना अन्तर्गत 100 सम्बल ग्रामों में 20 करोड़ रूपये की लागत के आधारभूत सूविधाओं के कार्य पूर्ण करवाये जायेगें।	• ग्राम की कुल जनसंख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या होने पर संम्बल ग्राम अधिसूचित। • राज्य के कुल 4110 ग्राम अधिसूचित। • ग्राम में आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किये जाने का प्रावधान। • करवाये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना पंचायतीराज संस्थाओं के प्रस्ताव के आधार पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अनुमोदित। • कार्य निष्पादन केवल ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थाओ के माध्यम से, ग्रामीण कार्य निर्देशिका प्रावधान के अनुसार ।
• सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय एवं देवनारायण योजनान्तर्गत निर्माणाधीन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जायेगा ।	• सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराये जा रहे छात्रावास भवनों हेतु स्वीकृत राशि 2689.00 लाख के 55 छात्रावासों में से 20 छात्रावास भवनो निर्माण कार्य तथा देवनारायण योजना में 41 करोड़ की स्वीकृत राशि के निर्माणाधीन 41 छात्रावास भवनों में 32 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जायेगा। • विभागीय 55 छात्रावासों में से सभी 55 छात्रावास विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन है परन्तु 60 दिवस में 20 छात्रावास भवन ही पूर्ण करवाये जा सकेगें। • देवनारायण योजनान्तर्गत 41 छात्रावासों में से सभी छात्रावास निर्माणाधीन हैं, परन्तु 60 दिवस में 32 छात्रावास भवन ही पूर्ण करवाये जा सकेगें।
• आर्थिक पिछडा वर्ग के छात्रावासों के लिए किराए के उपयुक्त भवन का चयन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालयों से मुख्यालय को प्रेषित किया जाना, मुख्यालय द्वारा उनकी वांछित स्वीकृति जारी की जायेगी।	• राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्वीकृत एक –एक महाविद्यालयस्तरीय छात्रावासों में से 9 जिला मुख्यालयों पर किराये के भवन का चयन कर सत्र 2013–14 में छात्रावास आरम्भ किया जा चुका है । शेष 24 जिलों में किराये के उपयुक्त भवन के प्रस्ताव विभागीय जिलाधिकारियों से प्राप्त कर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। • वित्तीय वर्ष 2013–14 में 9 जिला मुख्यालयों पर छात्रावास संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक मद में 102.33 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।

- बजट घोषणा में आर्थिक पिछडा वर्ग पेकेज के तहत 33 छात्रावास भवनों के लिए 74. 25 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है, परन्तु बजट आवंटन नहीं हुआ है।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 में छात्रावासों में आवश्यकतानुसार अनार्वतक सामान यथा पलंग, गद्दे, चद्दर, कम्बल आदि की आपूर्ति की जायेगी ।

- विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों के लिए आवश्यतानुसार अनावर्तक सामान यथा पलंग, गद्दे, चद्दर, कम्बल आदि क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारियों को राशि 268.00 लाख आवंटित की गई है, जिसमें से 23 जिलों द्वारा अधिकृत एजेन्सी राजस्थान राज्य हथकरधा विकास निगम से क्रय की कार्यवाही कर ली गई है, शेष जिलों में भी क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी ।

- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति (Post matric Scholarship) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), विशेष पिछडा वर्ग (SBC) एवं आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) के वर्ष 2013–14 के लिए 31 दिसम्बर, 2013 प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर छात्रवृति राशि का उनके बैंक खातों के माध्यम से वितरण की जायेगी।

- **पात्रता** – SC, ST, SBC, EBC के छात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम 2.50 लाख एवं OBC 1.00 लाख।
- विद्यार्थी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था व मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत।
- विद्यार्थी राजस्थान के मूल निवासी ।
- विद्यार्थी SC, ST, SBC,OBC, EBC वर्ग का ।
- Rajpms.nic.in ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवेदन अनिवार्य।
- **देय छात्रवृतिः–** अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non refundable fees) एवं निम्नलिखित अनुरक्षण भत्ता (SC,ST,SBC EBC की एक समान दरें तथा OBC)

ग्रुप	कोर्स	छात्रावासी	गैर–छात्रावाासी
A	IIT AIIMS ,MBBS, P.G., C.A., CS, M Phil, PhD, D.Litt. LLM, etc.	1200 750(OBC)	550 350(OBC)
B	B Pharma, Nursing, LLB, M.Ed, M.A,Msc, M.Com. M.Pharma. Diploma etc.	820 510(OBC)	530 335(OBC)
C	B.A., B.Sc., B.Com,B.Ed.	570 400(OBC)	300 210(OBC)
D	Class XI and XIIth	380 260(OBC)	230 160(OBC)

- 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त आवेदन पत्र वर्ग एवं जातिवार निम्नानुसार है SC-107053 , ST-90846, OBC-130948, SBC-25529, EBC-10054 कुल 364430

- अनुप्रति योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त 531 आवेदन पत्रों में से लम्बित 254 सभी पात्र आवेदन पत्रों का निस्तारण

- अनुप्रति योजनान्तर्गत SC/ST/SBC और OBC/General BPL के अभ्यार्थियों को सिविल सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की

कर राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार–प्रचार किया जायेगा ताकि अधिकाधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सके।

प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं अंतिम चयन होने पर 3 चरणों में क्रमशः 1.00 लाख रूपये एवं 50 हजार रूपये तक एवं प्रोफेशनल तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर 10 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है ।

परीक्षा	कुल	प्रारम्भिक	मुख्य	अंतिम
सिविल सेवा	1.00 लाख	65 हजार	30 हजार	5 हजार
राजस्थान प्रशासनिक सेवा	50 हजार	25 हजार	20 हजार	5 हजार
प्राफेशनल एवं तकनीकी पाठ्यक्रम	10 से 50 हजार	पाठ्यक्रम में प्रवेश होने पर एक मुश्त		

- सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त 1741 सभी आवेदनों पत्रों में से सभी पात्र आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा साथ ही योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रचार किया जायेगा ताकि अधिकाधिक लाभान्वितों को योजना का लाभ मिल सके।

- वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजनान्तर्गत कुल प्राप्त– 6823, स्वीकृत–5082, लम्बित–1741
- सहयोग योजना की पात्रता में सभी जाति के बी पी एल परिवार आवेदकों की दो पुत्रियों तक सहायता का प्रावधान।
- शादी के 1 माह पूर्व/छः माह पश्चात् तक सहायतार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान।
- एक मुश्त 10 हजार रूपये नकद आर्थिक सहायता । लड़की के 10वीं होने पर 5000 व स्नातक होने पर 10000 रूपये की अतिरिक्त सहायता ।
- विधवा पुत्री की सहायता एक मुश्त 10000 रूपये ।

- विभागीय योजनाओं के कम्प्यूटरीकरण करने की दिशा में सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से विकसित किए जा रहे ऑन लाइन एम.आई.एस. एप्लीकेशन को क्रियान्वित किया जायेगा ।

- विभाग की 11 योजनाएं (पालनहार योजना,आस्था कार्ड योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय योजना, सहयोग योजना, विधवा पुत्री योजना, स्वरोजगार योजना, अर्न्तजातीय विवाह योजना, नवजीवन योजना एवं नशा मुक्ति योजना) ऑनलाईन कर दी जावेगी।

- अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा ।

  1.4.2013 के बाद 5 लाख रूपये के प्रावधान के उपरान्त कुल आवेदन प्राप्त–42, स्वीकृत–16, लम्बित–26 तथा 1.4.2013 से पूर्व 50 हजार रूपये के प्रावधान के उपरान्त कुल आवेदन प्राप्त–56 स्वीकृत–40, लम्बित–16

- पात्रता में युगलों में से एक का राजस्थान का मूल निवासी आवश्यक/अन्य राज्य के होने पर युगल में से एक के माता–पिता का पांच साल से राजस्थान में निवास आवश्यक ।
- एक पक्ष अनुसूचित जाति व दूसरा पक्ष सवर्ण हिन्दू जाति आवश्यक।
- विवाह पंजीयन आवश्यक।
- 2.50 लाख रूपये संयुक्त नाम से 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट एवं एवं शेष 2.50 लाख रूपये नकद सहायता ।

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 500 विशेष योग्यजनों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करवा कर लाभान्वित किया जायेगा।	• राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन को जिनकी स्वंय की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है स्वंय का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी जिस पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार तक) राशि अनुदान के रूप में दी जाती है ।
• विभाग द्वारा पूर्व में चिन्हित विशेष योग्य जनों में से शेष रहे पात्र विशेष योग्यजनों को कृत्रिम सहायता उपकरण किए जाने हेतु विशेष कैम्पस का आयोजन किया जायेगा।	• निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा पूर्व में चिन्हित 3.63 लाख विशेष योग्यजनों में से शेष रहे पात्र विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जनवरी फरवरी 2014 माह में अभियान चलाकर लाभान्वित किया जायेगा। इस दौरान नये चिन्हित विशेष योग्यजनों को भी लाभान्वित किया जायेगा।
• पालनहार योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त 17 हजार आवेदनों में से लम्बित 10322 की आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा एवं वर्ष 2013–14 के पूर्व में स्वीकृत आवदनों के लम्बित भुगतान को अद्यतन किया जायेगा।	• पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ/आजीवन कारावास/मृत्युदंड/एड्स/कुष्ठ रोग से पीड़ित माता–पिताओं/पूर्नविवाहित महिला के बच्चे/विधवा/नाता जाने वाली महिलाओं/निःशक्त माता–पिता /तलाक परित्यत्ता के बच्चों की देखभाल के लिए। • 5 वर्ष से तक के लिए 500 रूपये, 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 1000 रूपये मासिक, वस्त्र स्वेटर जूते आदि हेतु 2000/– वार्षिक अतिरिक्त देय (विधवा एवं नाते जाने वाली महिलाओं को छोड़कर)।
• राजस्थान अनुजा निगम द्वारा 7000 अनुसूचित जाति एवं 1500 अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऋण स्वीकृतियां जारी कर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा एवं पात्र आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।	• विशेष केन्द्रीय सहायता एवं अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत क्रमशः पात्र 7000 हजार एवं 1500 व्यक्तियों को (ऑटोरिक्शा, डेयरी, पम्पसेट, किराना दुकान, दक्षता विकास प्रशिक्षण इत्यादि हेतु) प्रत्येक को 10,000 रूपये अनुदान राशि व्यय कर स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। • अनुदान राशि बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात आवेदक को बैंक के माध्यम से भुगतान की जाती है।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग

- निवेश के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही हेतु निदेशालय एवं जोन स्तर पर निवेश संवर्द्धन शाखाओं का गठन किया जायेगा।

- राजस्व छीजत को रोकने एवं राजस्व वृद्धि हेतु विशेष अभियान चलाये जायेंगे।

- अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक माह का संयुक्त अभियान चलाया जायेगा।

- बजरी नीति का पुनरावलोकन।

- ट्राईबल बेल्ट में खनिज रियायतें अनुदान करने के संबंध में नीति निर्धारण हेतु मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार किया जावेगा।

- खनन को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव भेजे जायेगे तथा ग्रेनाईट संवर्द्धन योजना पर कार्य प्रारंभ किया जावेगा ।

- एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन गतिविधियों के अन्तर्गत गैस एवं तेल के कुओं की खुदाई का कार्य किया जायेगा, जिनमें से 2 कुओं पर 25 से 30 करोड़ का निवेश संभावित हैं।

- भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के विकास कार्यक्रम (बाड़मेर–सांचोर बेसिन) हेतु गैस ऑथोरिटी आफॅ इण्ड़िया लि0 के साथ एम.ओ.यू. में वृद्धि की जायेगा ।

- इण्ड़ियन ऑयल कोर्पोरेशन लि0 के साथ शहरी गैस वितरण परियोजना विकसित करने हेतु एम.ओ.यू. किया जायेगा ।

- 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र तथा गवेषणीय छिद्रण हेतु आरएसएमएम लि0 द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

- 297 death certificates and Rs.10.50 crore received as gratuitous relief from Uttarakhand Govt. will be distributed to the affected families through district collectors.

- Remaining 214 death certificates alongwith gratuitous relief will be obtained from Uttarakhand Govt. and will be distributed to the affected families through district collector.

- Gratuitous Relief from CM Relief Fund will be completely distributed to all affected families. Till date cheques of Rs.24.70 crores form 494 pilgrims have been given to the 28 district collectors.

- State Disaster Management Plan has been Drafted and will be put up before the State Disaster Management Authority (SDMA) for necessary approval.

- State Disaster Management Policy has been reviewed and redrafted and will be put up before State Disaster Management Authority (SDMA) for necessary approval.

- Girdawari Reports from 29 districts have received and 13 districts have shown more than 50% Kharif crop loss in 7366 villages. Girdawari report from district Jhalawar, Nagaur, Pali and Tonk are still awaited. Girdawari Report from remaining 4 districts will be collected and decision on declaring scarcity affected shall be taken in State Disaster Management Authority (SDMA).

- Assistance for Input Subsidy to the affected farmers (crop loss of more than 50%) will be distributed in the scarcity affected villages as per SDRF norms. It is estimated that more than 12 lac farmers will be given the assistance for agriculture input subsidy.
  As per SDRF norms, in agriculture input subsidy assistance of Rs.4500:-per hect. for rainfed crop, Rs.9000 per hect. for assured irrigated crops and Rs.12000 per hect. for perennial crops, are permitted, restricted to sown area and maximum upto 2 hectare.

- 297 works of repair of dams, canals and PHED pipelines of 10 districts have been sanctioned by the department from SDRF (State Disaster Response Fund). The funds for these sanctions will be released according to the budget demands raised by the districts.

- Till date 10 districts have been allotted Rs.479.93 lac for providing assistance to the affected people for repair and restoration of damaged houses due to the calamity of flood/heavy rainfall. Distribution of allotted assistance to the affected people will be ascertained.

- After taking decision on scarcity affected areas by the State Disaster Management Authority, department will sanction relief activities as per SDRF norms in the affected areas on the demand of district collectors.

गृह विभाग

- **Police**

(i) Special drive against anti social elements.

(ii) Enhance plains clothes deployment and patrolling in and around girls's/women educational institutions to discourage eve teasers & others.

(iii) Creation of special investigation teams in every district to bring down the number of cases pending for investigation.

(iv) Deployment of at least four community police officers per lac of population at district headyuarters with the support of community.

(v) Re-launch case officer scheme to ensure effective prosecution of hardcore & repeat offenders.

(vi) Launch self defence training programmes for women in educational institutions at district headquarters.

(vii) Launch Traffic Portals for cities of Jaipur & Jodhpur for live information to public regarding traffic conditions and encouraging/enabling them to report traffic violations.

(viii) Stepping up operations against illegal mining.

(ix) Special efforts to trace missing persons.

(x) Disposal of Malkhana items on priority & bring their pendency to 50% of current level.

(xi) Inspection of all Police Stations, Out-Posts & District Police Units within 60 days.

- **Civil Defence & Home Guards**

(xii) Recruitment against 1350 vacancies of volunteers shall be made by February, 2014 and their training will be completed within the current financial year.

(xiii) Adequate training shall be imparted to Home Guards and Civil Defence volunteers as laid down by GOI by chalking out and implimenting short/long term plan, keeping in view the resources (budget) made available by GOI/GOR.

(xiv) To explore possibility for more deployment of Urban/Rural Home Guards in Public/Private Sector.

- **Jail Department**

(xv) Verification of stores of Central & District Jails.

(xvi) Health check up of prisoners.

(xvii) Basic cleaning & maintenance of Jail premises on campaign basis.

(xviii) Efforts will be made to associate ITIs with vocational training at Jodhpur, Ajmer, Kota, Udaipur and Bharatpur Central Jails.

(xix) Formulation of proposals for establishment of Women Reformatories at Udaipur, Ajmer, Kota, Bharatpur and Bikaner.

- **Anti Corruption Bureau/Forensic Science Laboratory**

(xx) Intercession shall be made with various Administrative Departments for expeditious grant of prosecution sanction in 268 cases pending with them & especially the 198 cases pending for more than three months.

(xxi) Forensic Science Laboratory will prioritize examination of pending 175 exhibits of ACB & dispose off 3/4th of the same in next sixty days facilitating expectitious disposal of ACB cases.

(xxii) Toxicology Division shall be established in Regional FSL Ajmer & Bikaner.

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- समस्त चिकित्सा संस्थानों पर सफाई अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त किया जाना।
- ऐसे वाहन, उपकरण जिन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता अथवा मरम्मत योग्य नहीं है, उनका निस्तारण किया जाना।
- सभी मेडिकल एवं पैरामैडिकल स्टॉफ को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर कर्त्तव्य पर उपस्थित रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- मरम्मत योग्य वाहन, मशीन एवं उपकरणों की मरम्मत कराकर उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करना।
- राज्य के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर जन सुविधा हेतु सूचना फलक/बोर्ड/साईनऐज लगवाना।
- समस्त चिकित्सा संस्थानों का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करना।
- 108 एम्बुलेंसेस को चिकित्सा व्यवस्था में शामिल किया जाना।
- एक सौ जननी एक्सप्रेस को चिकित्सा व्यवस्था में शामिल किया जाना।
- स्वास्थ्य हेतु भविष्य की योजना (विजन डॉक्युमेन्ट) तैयार किया जाना।

युवा मामले एवं खेल विभाग

- महाराणा प्रताप पुरस्कार वितरण।

- विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाडियों को अनुदान वितरण हेतु मेगा शिविर का आयोजन।

- खिलाडियों को देय विभिन्न सुविधाओं के बाबत जिला मुख्यालयों एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद मुख्यालय पर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित करना एवं सुविधाओं प्रचार–प्रसार।

- जिला खेल अधिकारी कार्यालयों एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के कार्यालय का सशक्तिकरण।

- राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सौजन्य से विभिन्न खेलों के स्टेट गेम्स आयोजित करना।

- प्रमुख खेलों की वर्ष 2013–14 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

- खेल विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं का कार्यालय प्रारंभ करना।

- प्रदेश के 65 साल से अधिक आयु के खिलाडियों को सम्मानित करना।

- खेल प्रशिक्षकों को गुरू वशिष्ठ पुरस्कार वितरण।

- राजस्थान युवा बोर्ड के सहयोग से जिला स्तरीय युवा महोत्सव एवं रोजगार सहायता शिविर आयोजित करना।

- राजस्थान युवा बोर्ड का कार्यालय प्रारंभ करना।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

- सम्पूर्ण राज्य में सभी श्रेणी के 1,76,96,855 डिजिटाईज्ड एवं कम्प्यूटराईज्ड राशन कार्ड वितरण कराये जायेंगे।

- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून तथा प्रदेश में सस्ते दर पर वितरित किये जा रहे गेहूं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जायेगी, जिससे बी0पी0एल0 परिवारों के अलावा अन्य पात्र परिवारों को 35 किलो गेहूं तथा अन्य आवश्यक सामग्री रियायती दर पर/ निःशुल्क मिल सकेगी।

- उचित मूल्य की दुकानों का स्वास्थ्य परीक्षण (हैल्थ चैकअप)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडे फेयर प्राइस शॉप होल्डर्स की समस्याओं की समीक्षा।

- उपभोक्ता मामले विभाग की स्थापना।

- उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जाना।

- राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का पुनर्गठन किया जाना है।

- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढीकरण।